सीएसआईआर-केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान
पिलानी (राजस्थान)- 333031

सं.SO/E-III/Misc./2020-कोविड दिनांक- 14.04.2021

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सीएसआईआर-सीरी परिसर को कन्टेन्मेन्ट ज़ोन घोषित किए जाने के कारण संस्थान का बंद रहना ।

संदर्भ : जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं, राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ.16(6)(3)न्याय/2008/635, दिनांक 14.04.2021

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी उपर्युक्त आदेश के अनुसार सीरी पिलानी को दिनांक 14 अप्रैल, 2021 से 17 अप्रैल, 2021 की मध्य रात्रि तक कन्टेन्मेन्ट ज़ोन घोषित किया गया है। इस आदेश के अंतर्गत संस्थान एवं कॉलोनी परिसर में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अनुसार निषेधाज्ञा लागू रहेगी। इस आदेश के अनुपालन में संस्थान (विद्युत एवं जल आपूर्ति, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सुरक्षा व अन्य आवश्यक सेवाओं को छोड़कर) आज दिनांक 14 अप्रैल, 2021 से 17 अप्रैल, 2021 (मध्य रात्रि) तक बंद रहेगा।

यह कार्यालय ज्ञापन निदेशक, सीएसआईआर-सीरी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

महेन्द्र सिंह 14/04/2021

(महेन्द्र सिंह)
प्रशासनिक अधिकारी

संलग्नक : जिला कलेक्टर द्वारा जारी उपर्युक्त आदेश

प्रतिलिपिः-

1. कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूँ
2. निदेशक/प्रशासनिक अधिकारी के निजी सचिव
3. अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका -विद्याविहार, पिलानी को जिला कलेक्टर द्वारा जारी उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में संस्थान व कॉलोनी परिसर में शीघ्र सेनिटाइजेशन की व्यवस्था हेतु।
4. सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमुखों को ई-मेल के माध्यम से
5. सुरक्षा अधिकारी, सीएसआईआर-सीरी
6. आवासीय चिकित्सा अधिकारी, सीरी डिस्पेंसरी
7. संस्थान के सभी सूचना पट्ट एवं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स
8. प्रभारी, एनएमसी - इस अनुरोध के साथ कि कृपया इसे सभी की सूचनार्थ संस्थान की वेबसाईट पर अपलोड कर दें
9. संबंधित फाइल

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं (राज.)

क्रमांक एफ.16(6)(3)न्याय/2008/635 दिनांक- 14-4-2021

।। आदेश ।।

(अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कन्टेमेंट जोन)

यतः मुझे यह अवगत करवाया है कि जिला झुंझुनूं के कस्बा पिलानी के बिट्स पिलानी क्षेत्र, सीरी पिलानी क्षेत्र, बीकेबीआईटी हॉस्टल पिलानी में निवासरत कुछ व्यक्तियों के नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) से संक्रमित पाये जाने के कारण उक्त बिमारी से झुंझुनूं जिले के नागरिकों में उक्त संक्रमण की संभावनाओं के मध्यनजर मानव जीवन को खतरे, स्वास्थ्य एवं इसके कारण लोक शांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है।

उक्त परिस्थितियों से मेरा समाधान हो गया है एवं मैं सन्तुष्ट हूँ कि ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया झुंझुनूं जिले के कस्बा पिलानी के बिट्स पिलानी, सीरी पिलानी क्षेत्र, बीकेबीआईटी हॉस्टल पिलानी की सीमा में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से कस्बा पिलानी के बिट्स पिलानी, सीरी पिलानी, बीकेबीआईटी हॉस्टल पिलानी को कन्टेमेंट जोन घोषित किया जाकर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की जावें।

अतः मैं उमरदीन खान, (I.A.S.) जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं दण्ड प्रक्रियां संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झुंझुनूं जिले के कस्बा पिलानी के बिट्स पिलानी, सीरी पिलानी, बीकेबीआईटी हॉस्टल पिलानी को कन्टेमेंट जोन घोषित किया जाकर इसके सीमा क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश देता हूँ कि :-

1 कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए उक्त झुंझुनूं जिले के कस्बा पिलानी के बिट्स पिलानी की सीमा में निवासरत नागरिकगण अपने निवास स्थान से अनावश्क कारण के आवागमन नहीं करेंगें।

2 कोरोना वायरस के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की राहत/मदद हेतु अपने क्षेत्र के नियुक्त नोडल प्रभारी (उपखण्ड मजिस्ट्रेट)/चिकित्सा दल से सम्पर्क करेगें।

3 किसी भी प्रकार की सार्वजनिक एवं निजी परिवहन एवं आवागमन प्रतिबाधित रहेगा।

4 झुंझुनूं जिले में नियुक्त समस्त चिकित्सा दल अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में कोरोना वायरस के बचाव हेतु आमजन में अधिक से अधिक प्रचार - प्रसार किया जाना सुनिश्चित करें।

5 यह प्रतिबंध बीमार व्यक्तियों, चिकित्सकीय आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों के लिए लागू नही होगा।

6 उक्त क्षेत्र के व्यवसायिक/व्यापारिक प्रतिष्ठानों में दैनिक आवश्यकताओं से सम्बन्धित किराणा एवं जनरल स्टोर इत्यादि एवं सब्जी की दुकानें बन्द रहेगी।

7 यह प्रतिबंध चिकित्सा कार्मिकों, सफाई कर्मियों तथा कानून व्यवस्था एवं अधिकृत रसद सामग्री के लिए नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

8 उक्त क्षेत्र में पुलिस द्वारा निर्धारित एन्ट्री पॉईन्ट्स पर चिकित्सा विभाग द्वारा टीम नियुक्त की जावेगी, जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि बिना स्क्रीनिंग के कोई भी व्यक्ति उक्त क्षेत्र में प्रवेश नहीं करे और ना ही उक्त क्षेत्र से बाहर निकले।

9 अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, विद्याविहार पिलानी कन्टेमेंट जोन में हाइपों क्लोराईड का स्प्रे करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा आवश्कतानुसार बेरिकेटिंग करवाया जाना सुनिश्चित करें।

10 मुख्य चिकत्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनूं कन्टेमेंट जोन में टीम घटित कर घर-घर सैम्पलिंग करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा संक्रमित व्यक्तियों की कोन्टेक्ट हिस्ट्री तैयार कर सभी की सैम्पलिंग करवाया जाना सुनिश्चित करें।

11 जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनूं कन्टेमेंट जोन में आवाजाही पर नियंत्रित किया जाना सुनिश्चित करें।

12 कन्टेमेंट जोन में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ इक्कठे नही होगें।

13 मैं उक्त क्षेत्र के सभी निवासियों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देता हूँ।

कार्यालय जिला कलेक्टर, झुंझुनूं Tel.No. (O) 01592-232237, FAX No. 01592-232040 E-Mail col.jjn@gmail.com

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट झुंझुनूं (राज.)

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाकर दिनांक 17 अप्रेल 2021 की मध्य रात्रि तक प्रभावी रहेगा।

इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत अभियोजन प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जायेगी।

चूंकि इस आदेश की तामील व्यक्तिशः करना सम्भव नहीं है। इसलिए यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है। इस आदेश को जिले के समस्त मुख्य स्थानों पर चस्पा करवाकर एवं स्थानीय समाचार पत्रों व प्रचार प्रसार के माध्यमों से समस्त नागरिकों को अवगत करा दिया जावें।

यह आदेश आज दिनांक 14 अप्रेल 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी किया गया।

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
District Magistrate
JHUNJHUNU 14-4-2021

क्रमांकः एफ.16(6)(3)न्याय/2008/635

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हैं :-श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह एवं न्याय विभाग, राजस्थान जयपुर।

1 निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3 निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
4 शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
5 संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग जयपुर।
6 महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, जयपुर।
7 समस्त जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, ________________ राजस्थान राज्य।
8 जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनूं को भेजकर लेख है कि थानाधिकारी पुलिस थाना पिलानी को इसकी सूचना दी जावें तथा आदेश की पालना सुनिश्चित करावें।
9 उपखण्ड मजिस्ट्रेट ________________ (समस्त जिला झुंझुनू)
10 उप पुलिस अधीक्षक, ________________ (समस्त जिला झुंझुनू)
11 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी, झुन्झुनूं।
12 प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, झुन्झुनूं।
13 जिला शिक्षा अधिकारी मा/प्रा., झुन्झुनूं।
14 तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट सूरजगढ को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश का व्यापक प्रचार प्रसार करवाया जावे।
15 सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, झुंझुनूं को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार जरिये प्रेस नोट स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से जन साधारण को कराया जावें।
16 आयुक्त, नगरपरिषद, झुंझुनू।
17 विकास अधिकारी, पंचायत समिति पिलानी को प्रचार प्रसार हेतु।
18 थानाधिकारी पुलिस थाना पिलानी को भेजकर लेख है कि आदेश का व्यापक प्रचार प्रसार किया जावे एवं अक्षरशः पालना सुनिश्चित करवायी जावे।
19 नोटिस बोर्ड कार्यालय
20 गार्ड फाईल/निजी सहायक/सहायता शाखा, कलेक्ट्रेट, झुंझुनूं।

आरोग्य के मध्य नजर दिनांक 17.04.2021 की मध्य रात्रि तक स्थान को बंद करने के आदेश जारी कर दिए जाए। अवलोकनार्थ प्रस्तुत है

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
झुंझुनूं
District Magistrate
JHUNJHUNU 14/4/21

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट झुंझुनूं (राजस्थान)

कार्यालय जिला कलेक्टर, झुंझुनूं, Tel.No. (O) 01592-232237, FAX No. 01592-232240 E-Mail col.jjn@gmail.com

निदेशक महोदय

14/4/21